

श्रीमान जी,

2023/165

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी सुखजिन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय मुकन्द सिंह, निवासी गांव मोहला, तहसील मलोट, जिला श्री मुकत्सर साहिब पंजाब ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता मुकंद सिंह पुत्र श्रीकाका सिंह, निवासी गांव मोहल्ला, तहसील पंजाब, जिला श्री मुकतसर साहिब, पंजाब ने दिनांक 14.11.2022 को बंद वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 04.01.2023 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 14.11.2022 को रखवाई गयी बंद वसीयत को खोली जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान सुखदेव सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह और हरपाल सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री गोपाल कपूर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

*Pruthi*  
20/11/23

*[Signature]*